संख्या : जी-2-605(1)/दस-534(19)57, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)-1 व 2, तथा महालेखाकार (आडिट) 1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
4. विधायिका विभाग।
5. विधान सभा/परिषद सचिवालय।
6. भाषा अनुभाग-5।
7. राज्यपाल सचिवालय।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश
विशेष सचिव।

संख्या: 213/सत्तर-2-2004-16(79)/99टी.सी.

प्रेषक,

नीरा यादव,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव,
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2004

विषयः- राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे समबद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु में वृद्धि कर दी जाये।

2. अतः श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शासन द्वारा सृजित पदों पर कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। फलस्वरूप 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानैवृत्तिक लाभ 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर तथा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानैवृत्तिक लाभ 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर अनुमन्य होंगें।

3. श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि जो शिक्षक 01.07.2003 के पश्चात् अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सत्रान्त लाभ पर चल रहे, उन्हें भी अधिवर्षता आयु वृद्धि सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उनकी शेष शर्तें यथावत रहेगी।
5. उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नियम 50 के उप नियम 6 के अनुसार संगत नियम में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही शासनादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर सुनिश्चित कर ली जायेगी।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या यू.ओ.ई.-11-167/दस-2004 दिनांक 04.02.2004 में प्राप्त सहमति के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
नीरा यादव,
प्रमुख सचिव।

संख्या: 213(1)/सत्तर-2-2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार, आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय।
7. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।
10. सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रचारार्थ
11. विशेष सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
13. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
14. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बी.डी. जोशी,
संयुक्त सचिव।